भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 471

उत्तर देने की तारीख-24/07/2023

नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग

1471. श्री जी. सेल्वमः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
डॉ. डी. एन. वी. सेंथिल कुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग (एनएमएम) की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ख) क्या कुछ स्कूलों को एनएमएम के पायलट मोड में भाग लेने के लिए चुना गया था और यदि हां, तो उसका विवरण और परिणाम क्या हैं;

(ग) एनएमएम को लागू करते समय सरकार को किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है;

(घ) क्या देश में प्रशिक्षित / कुशल शिक्षकों की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और यदि हां, तो विशेष रूप से तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पाठ्यक्रम और अनिवार्य इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाने सहित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई बदलाव / अद्यतन का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रस्तावित परिवर्तनों से देश में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय के एक बड़े समूह के साथ एक राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (एनएमएम) स्थापित करने का अधिदेश देती है - जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग भी शामिल हैं जो विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों की सहायता के लिए लघु और दीर्घकालिक मेंटरिंग/पेशेवर सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग (एनएमएम) के तौर-तरीकों को विकसित करने और डिजाइन करने का काम सौंपा गया है। एनसीटीई ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद एनएमएम पर एक ब्लूबुक विकसित की है। परामर्श प्रक्रिया में देश भर के 30 केंद्रीय सरकारी स्कूलों (15 केवीएस, 10 एनवीएस और 5 सीबीएसई) में एनएमएम संबंधी एक प्रायोगिक अध्ययन शामिल था।

(घ): व्यावसायिक योग्यता के बिना सरकारी शिक्षकों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार यूडाइज+2021-22 में उपलब्ध विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ड.) और (च): एनईपी 2020 द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार, सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में एक चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) शुरू किया गया है, जो शिक्षा के साथ-साथ एक विशेष विषय में दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक की डिग्री होगी।

(छ): समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन, अनुकूल शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहल, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, अकादमिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि।

एनईपी 2020 के अधिदेश के अनुसार, देश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। इनमें देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक आवश्यक रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त करना सुनिश्चित करते हुए समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में प्रवीणता संबंधी राष्ट्रीय पहल (निपुन) भारत की शुरूआत, प्री-प्राइमरी से कक्षा V तक के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों हेतु ' स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों' की समग्र उन्नति संबंधी राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) 3.0, माध्यमिक स्तर के लिए अधिगम परिणामों को अधिसूचित करना, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 का संचालन, सीबीएसई स्कूलों के मूल्यांकन के लिए अधिगम स्तरीय विश्लेषण संबंधी संरचित मूल्यांकन (सफल) ढांचे का विकास, ग्रेड- I के बच्चों के लिए 03 महीने के खेल-आधारित स्कूल मॉड्यूल संबंधी विद्या प्रवेश दिशानिर्देश आदि शामिल है ।

इसके अलावा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) विकसित करने का कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को सौंपा गया है और एनसीटीई ने विभिन्न हितधारकों से इनपुट/सुझावों के आधार पर एक एनपीएसटी मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किया है। एनपीएसटी का उद्देश्य शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के संदर्भ में क्या अपेक्षित है और इसे बढ़ाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसकी समझ विकसित करते हुए उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सुधार करना है।

*****

संलग्नक

"नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. सेल्वम डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्रीमती मंजुलता मंडल, डॉ. डी. एन. वी. सेंथिल, कुमार एस. श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री सी.एन. अन्नादुरई और श्री धनुष एम. कुमार द्वारा दिनांक 24.07.2023 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 471 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

बिना व्यावसायिक योग्यता वाले शिक्षक (सरकारी)		
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**संख्या**	**प्रतिशत**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	382	9.9
आंध्र प्रदेश	6,296	3.4
अरुणाचल प्रदेश	1,932	12.2
असम	84,110	38.4
बिहार	67,591	17.2
चंडीगढ़	258	5.4
छत्तीसगढ	7,963	4.5
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	125	4.5
दिल्ली	3,451	4.3
गोवा	162	5.7
गुजरात	7,689	4.0
हरियाणा	3,161	3.5
हिमाचल प्रदेश	6,949	11.0
जम्मू एवं कश्मीर	13,326	13.6
झारखंड	52,356	44.4
कर्नाटक	7,535	3.8
केरल	4,069	5.4
लद्दाख	979	22.2
लक्षद्वीप	33	4.5
मध्य प्रदेश	7,082	2.3
महाराष्ट्र	1,628	0.7
मणिपुर	4,175	23.3
मेघालय	7,291	32.7
मिजोरम	769	6.1
नागालैंड	8,233	44.7
ओडिशा	9,769	4.8
पुदुचेरी	261	5.7
पंजाब	19,072	16.6
राजस्थान	13,282	3.5
सिक्किम	2,919	30.3
तमिलनाडु	2,615	1.2
तेलंगाना	6,727	5.1
त्रिपुरा	13,505	48.7
उत्तर प्रदेश	62,663	10.2
उत्तराखंड	3,034	5.3
पश्चिम बंगाल	61,171	13.3
भारत	**4,92,563**	**10.4**

(स्रोत:यूडाइज +2021-22)